उत्तर प्रदेश शासन

राज योजना आयोग-2

(नियोजन विभाग)

संख्या-7/2017/ (/17) 3/1/35-आ0-2/2016-19

लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वित्त आय व्ययक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च 2017 द्वारा राज्य योजना आयोग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4/2017(1180/17)/3/1/35-आ0-2/2016-19 दिनांक 20 अप्रैल 2017 एवं शद्वि पत्र संख्या -(2475/17)3/1/35-आ0-2/2016-19 दिनांक 24 अगस्त में लेखानुदान के अन्तर्गत 05 माह हेतु निर्गत स्वीकृतियों की धनराशि रू0 315.00 (रूपये तीन करोड पन्द्रह लाख मात्र) को घटाने/समायोजित करते हुए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त 2017 में निर्गत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये आय- व्ययक के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 508.27 (रू0 पॉच करोड आठ लाख सत्ताइस हजार मात्र) को नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें-101- योजना आयोग/योजना बोर्ड-03 राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय करने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या- 40 **(धनराशि लाख रू0 में)**

कोड संख्या	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत कुल आय-व्ययक प्रावधान	लेखानुदान के अन्तर्गत 05 माह के लिये राज्य आयोग हेतु जारी स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान की धनराशि को घटाने / समायोजन के उपरान्त राज्य योजना आयोग मुख्यालय हेतु जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ
1	2	4	5	6
	03-राज्य योजना आयोग			
01	वेतन	583.39	243.00	340.39
02	मजदूरी	0.50	शून्य	0.50
03	मंहगाई भत्ता	35.00	12.15	22.85

http:///shashnadesh.up.nic.in

04	यात्रा भत्ता	6.00	2.50	3.50
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	शून्य	0.20
06	अन्य भत्ते	70.00	29.15	40.85
07	मानदेय	6.00	6.00	-
08	कार्यालय व्यय	8.00	4.50	3.50
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	1.00	-
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	शून्य	4.00
13	टेलीफोन पर व्यय	4.50	1.80	2.70
14	मोटर गाडियों का क्रय	8.50	शून्य	8.50
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	8.30	11.70
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये	1.00	0.40	0.60
18	प्रकाशन	2.00	शून्य	2.00
26	मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	शून्य	2.00
42	अन्य व्यय	20.00	शून्य	20.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	0.40	0.60
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	शून्य	2.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	3.00	शून्य	3.00

http://shashnadesh.up.nic.in

47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00	1.25	1.75
49	चिकित्सा व्यय	6.00	4.15	1.85
51	वर्दी	1.00	0.40	0.60
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	35.18	शून्य -	35.18
	योग:-	823.27	315.00	508.27

(रू0 पॉच करोड आठ लाख सत्ताइस हजार मात्र)

उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1 - विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चितकिया जाय।

2 -व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारीआदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औख्त्यि के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनपांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशो/शर्तो का अनुपालन किया जायेगा ।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिका आधार मिलान कार्यालय महालेखकार इलाहाबाद उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सतयापित विवरण नियोजना अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2- मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय के अर्न्तगत बजट प्रावधानसे सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाने के संबंध में सुस्पष्ट प्रस्ताव यथासमय/आवश्यकतानुसार उपलबध करायाजायेगा।

3- वित्त विभा के शसनादेश संख्या- 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04 (एम) /2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पुररीक्षित वेतन के अवशेष के 50 प्रतिशित का भुगतान माह अक्टूबर 2017 से पूर्व नही कियाजाना है। अत: मानक मद 52-पुररीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में प्राविधनित धनराशि को अक्टूबर 2017 से पूर्व कोषागार से आहरित नही किया जायेगा।

http://shashinadesh.up.nic.in

4 उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03 राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा

5 यह आदेश वित्त आय व्ययक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है

पी0एन0 त्रिपाठी
विशेष सचिव

संख्या-7/2017/(/17)3/1/35-आ0-2/2016-19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद
3 महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
4 वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 3 अगस्त, 2017 के संबंध में
6 अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग
7 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
8 वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9 आहरण वितरण अधिकारी, नियोजन सचिव शाखा।
10 नियोजन अनुभाग 1
11 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

http:///shashnadesh.up.nic.in